सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिह जोधा)

राजस्व वाद सं. 64/2020
अन्तर्गत धारा 212 रा0का0अधि0

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगणा
सधीक खां पुत्र आधम खां जाति–मुसलमान, नि0 कानासर, तह0 शिव		1. साकर खां पुत्र आधम खां जाति–मुसलमान, नि0कानासर, तह0 शिव 2. शाखा प्रबन्धक पी.एन.बी. बैक शाखा उण्डू 3. राज0राज्य तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयक शिव।

दिनांक	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
02/7/20	प्रार्थी के वकील श्री नरेन्द्रसिह सियाग ने यह प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट. के तहत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के वकील की बहस है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 को अपने वालिद के फौत होने पर विरासत में प्राप्त आराजी खेत खसरा नम्बर 317, 318, 700/543 रकबा क्रमशः 07.12, 79.09, 25.00 बीघा, कुल रकबा 112.01 बीघा, मौजा कानासर, पटवार मण्डल कानासर, तह0 शिव की भूमि व वादग्रस्त आराजी में निर्मित एवं विरासत मे प्राप्त कृषि विद्युत कनेक्शन संयुक्त अधिकारों का आया हुआ है। जिस पर उभय पक्ष का बहक बराबर हक हिस्सा होने व प्रार्थी का भौतिक रूप से कब्जा काश्त होने से प्रार्थी का मामला प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। वादग्रस्त आराजी मे प्रार्थी का खातेदारी हिस्सा 1/2 एवं विप्रार्थी संख्या 1 का खातेदारी हिस्सा भी 1/2 आया हुआ है। उक्त आराजी सामलाति होने एवं हिस्से खुले हुए नहीं होने के कारण विप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी मेब ने एवं विरासत में प्राप्त कृषि कुएं व कृषि विद्युत कनेक्शन से प्रार्थी के उपयोंग व उपभोग में हस्तक्षेप कर रहा है। जबकि उक्त कृषि कुआं व कृषि विद्युत कनेक्शन विरासत मे प्राप्त हुआ होने से इस पर उभय पक्ष का संयुक्त स्वामित्व एवं अधिकार है। जिसके उपयोंग व उपभोग में विप्रार्थी संख्या 1 बाधा उत्पन्न करने का विधिक अधिकारी नही है। विप्रार्थी संख्या 1 विरासत मे प्राप्त कृषि कुएं व कृषि विद्युत कनेक्शन से प्रार्थी को वांचित करने के आशय से प्रार्थी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने पर भी आमादा है। अगर विप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल [illegible] एवं संयुक्त स्वामित्व के कृषि कुएं व कृषि विद्युत कनेक्शन [illegible] है तो प्रार्थी को भवषिय में न पूरी हो सकने वाली अपूर्णीय क्षति होगी। [illegible] में विप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी का विभाजन करवाने से पूर्व अजनबी क्रेतागण को वादग्रस्त आराजी व उसमे बने कृषि कुएं व कृषि विद्युत कनेक्शन का अन्य हस्तान्तरण कर देता है तो प्रार्थी को भविष्य में न पूरी हो सकने वाली अपूर्णीय क्षति होगी। अतः समस्त परिस्थितियों में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे प्रमाणित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 317,	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:51:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

318, 700/543 रकाब कमशः 07.12, 79.09, 25.00 बीघा, कुल रकबा 112.01 बीघा मौजा कानासर, पटवार मण्डल–कानासर, तह0 शिव की भूमि मे बने कृषि कुऐ व कृषि विद्युत कनेक्शन के उपयोग व उपभोग से प्रार्थी को वंचित नहीं करे तथा त्रुटिपूर्ण रेकर्ड की प्रविष्टियों का सहारा लेकर विप्रार्थी संख्या 1 उक्त संयुक्त स्वामित्व के कृषि कुऐ व कृषि विद्युत कनेक्शन पर अपना स्वामित्व साबित नहीं करे तथा वाद के निर्णय तक उक्त आराजी व कृषि कुऐ व कृषि विद्युत कनेक्शन का अन्य हस्तान्तरण कर उन्हें, काबिज नहीं करे तथा मौके पर विभाजन से पूर्व किसी प्रकार का निर्माण कार्य कर कब्जा पुख्ता करने का प्रयास नहीं करे। मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पक्ष प्रार्थी विरूद्व विप्रार्थीगण जारी किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

"धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निम्न प्रकार है कि यदि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी वाद या कार्यवाही के दौरान शपथपत्र या अन्य प्रकार से यह सिद्व हो जाये कि:–

(क) कोई सम्पत्ति जिसके बारे मे उक्त वाद या कार्यवाही है, तत्संबद्व किसी पक्षकार द्वारा दुरूपयोग किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने या परंकीकरण किये जाने (alienated) के खतरे में है, या

(ख) उक्त वाद या कार्यवाही से संबंद्व कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्य को सफल नहीं होने देने के अभिप्राय से उस संपत्ति को हटाने या उसका व्ययन (disposal) करने की धमकी देता है या विचार रखता है,

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश जारी कर सकता है..................."

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आराजी तौर से स्वीकार किया जाकर तह0 शिव, पटवार मण्डल कानासर के ग्राम कानासर में अवस्थित खेत खसरा नम्बर 317, 318, 700/543 रकबा कमशः 07.12, 79.09, 25.00 बीघा, कुल रकबा 112.01 बीघा भूमि व इसमें निर्मित संयुक्त स्वामित्व के कृषि कुऐ व कुषि विद्युत कनेक्शन के संबंध में विप्रार्थीगण के विरूद्व किसी भी विधि से अन्य हस्तान्तरण, रहन, बय इत्यादि द्वारा खुर्द बुर्द नहीं करने, प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करने, वादग्रस्त आराजी में बनें कृषि कुऐ व विद्युत कनेक्शन के उपयोगव उपभोग मे बाधा उत्पन्न नहीं करने तथा मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय का स्थगन आदेश आगामी पेशी तिथि तक जारी किया जाता है। ... जारी हो। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली ... जवाब ... तलबी दिनांक 21/8/20 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:51:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) शिव

21/8/20 पत्रावली आज पेश हुई।
आज हम दिगर कार्यों में व्यस्त है
अतः इतला होकर पत्रावली आईन्दा वास्ते
अग्रिम कार्यवाही दि. 21/10/20 को पेश हो।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
9.12.24	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली बहस हेतु दिनांक 14.02.25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	
14.2.25	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 14.02.25 को पेश हो।	
14.5.25	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 28.5.25 को पेश हो।	
28.5.25	श्रीमान् पीठासीन अधिकारी के मुख्यालय से बाहर होने से इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 12.6.25 को पेश हो।	
12.6.25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली बहस हेतु दिनांक 7.07.25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	
7.7.25	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 23.7.25 को पेश हो।	
23.7.25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। पत्रावली में प्रभावी पैरवी हेतु [illegible] प्रार्थी व प्रार्थी वकील को [illegible] के बावजूद अनुपस्थित। अतः पत्रावली में कोई प्रभावी पैरवी नहीं होने व प्रार्थी व प्रार्थी वकील के अनुपस्थित रहने पर उक्त आवेदन अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:51:16 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
9.12.24	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली बहस हेतु दिनांक 14.02.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) शिव	
14.2.25	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यो में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 14.05.25 को पेश हो।	
14.5.25	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यो में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 28.5.25 को पेश हो।	
28.5.25	श्रीमान् पीठासीन अधिकारी के मुख्यालय से बाहर होने से इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 12.6.25 को पेश हो ।	
12.6.25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली बहस हेतु दिनांक 7.07.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) शिव	
7.7.25	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यो में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 23.7.25 को पेश हो।	
23.7.25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी [illegible] पत्रावली में प्रभावी पैरवी हेतु न्याया[illegible] में प्रार्थी व प्रार्थी वकील को [illegible] के बावजूद अनुपस्थित। अतः [illegible] प्रभावी पैरवी नहीं होने व प्रार्थी व प्रार्थी वकील के अनुपस्थित रहने पर उक्त आवेदन अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) शिव	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:51:16 IST
Reason: SelfAttested